

झारखंड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(सहकारिता प्रभाग)

झारखण्ड राज्य लघुवनोपज सहकारी विकास एवं विपणन संघ लि.
(झाम्फकोफेड, राँची)

तृतीय तल्ला, झारखण्ड राज्य कृषि विपणन पर्यटन बिल्डिंग, इटकी रोड, हेटल, राँची-834005, झारखण्ड।

TIN No. : 20850306656
Ph.No :- 0651-6999125

E.mail I.D.:mdjhamfcofed@gmail.com
Web Site :- www.jhamfcofed.com


झाम्फकोफेड से संबद्ध समितियों के लघुवनोपज व्यवसाय हेतु

इच्छा की अभिव्यक्ति का आमंत्रण

वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (सहकारिता प्रभाग), झारखंड सरकार के द्वारा झाम्फकोफेड से संबद्ध लघुवनोपज सहयोग समितियों/लैम्पस/पैक्स/वनोपज पर कार्य करने वाले संबद्ध SHG के लघुवनोपज व्यवसाय वृद्धि/मूल्य संवर्धन हेतु आधारभूत संरचना, प्रसंस्करण एवं पैकेजिंग सेंटर झाम्फकोफेड से उपलब्ध कराने की योजना है। इसके लिए विहित प्रपत्र एवं निर्धारित नियम तथा शर्तों के अर्धीन संबद्ध समितियों से इच्छा की अभिव्यक्ति आमंत्रित की जाती है।

झाम्फकोफेड से संबद्ध इच्छुक लघुवनोपज सहयोग समितियों/लैम्पस/पैक्स द्वारा दिनांक 15.09.2017 के अपराह्न 5.00 बजे तक विहित प्रपत्र में विस्तृत विवरणी के साथ अपना आवेदन सहायक निबंधक स० स०/जिला सहकारिता पदाधिकारी की अनुशंसा के साथ झाम्फकोफेड कार्यालय में जमा किया जा सकता है। वनोपज पर कार्य करने वाले SHG अपने आवेदन को संबंधित विभाग/कार्यालय से अनुशंसित करारेंगे।

विहित प्रपत्र, नियम एवं शर्तें झाम्फकोफेड कार्यालय के सूचना पट एवं झाम्फकोफेड के वेबसाइट www.jhamfcofed.com पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय से कार्यावधि में संपर्क किया जा सकता है।




प्रबंध निदेशक
झाम्फकोफेड, राँची।

समितियों में लघुवनोपज प्रसंस्करण इकाई के चयन हेतु नियम एवं शर्त

नियम एवं शर्त :-

1. आवेदन विहित प्रपत्र में सभी आवश्यक अनुलग्नकों के साथ संबंधित विभाग/कार्यालय से अनुशसित कराते हुए कार्यालय में निर्धारित समयावधि तक समर्पित करें।
2. ग्राम्फकोफेड का बकाएदार/डिफॉल्टर समिति इस योजना के लिए अयोग्य होंगे।
3. ग्राम्फकोफेड द्वारा योग्यता के आधार पर समितियों का चयन करने का अधिकार सुरक्षित होगा। समितियों का चयन ग्राम्फकोफेड द्वारा निर्धारित मापदण्डों के प्राप्ताकों के आधार पर व्यवसाय उपसमिति द्वारा किया जाएगा।
4. समिति के नाम कम से कम 5 डी० भूमि उपलब्ध हो जहाँ रोड, बिजली एवं सुरक्षा की सुविधा हो।
5. ग्राम्फकोफेड के व्यवसाय उप समिति द्वारा चयनित लघुवनोपज सहयोग समिति/लैम्पस/पैक्स/SHG के साथ ग्राम्फकोफेड द्वारा 5 वर्षों के लिए एक एकरारनामा किया जाएगा।
6. एकरारनामा अवधि में प्रथम वर्ष के पश्चात् आगामी 04 वर्षों तक के लिए प्रति वर्ष 25,000.00 (पच्चीस हजार) रूपए ग्राम्फकोफेड को देय होगा। यह राशि वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ माह अप्रैल के प्रथम सप्ताह में भुगतान करना होगा। जो समिति को उपलब्ध कराए गए प्रसंस्करण यूनिट पर ही खर्च की जाएगी।
7. एकरारनामा अवधि में ग्राम्फकोफेड के द्वारा समिति के निरीक्षण करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित होगा।
8. चयनित समिति को ग्राम्फकोफेड द्वारा क्षेत्र एवं उत्पादन के आधार पर अमली/अन्य लघुवनोपज प्रसंस्करण इकाई उपलब्ध कराई जाएगी।
9. योजना पूर्ण करने में उपलब्ध कराए जा रहे अनुदान राशि से अधिक व्यय होने की स्थिति में समिति द्वारा बड़ी हुई राशि अपने कोष से व्यय की जाएगी।
10. एकरारनामा अवधि में समिति द्वारा किए गए व्यवसाय का मासिक प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से ग्राम्फकोफेड कार्यालय में जमा करना होगा।
11. लघुवनोपज विपणन व्यवसाय हेतु समिति के सदस्य कृषकों द्वारा संग्रहित एवं प्रसंस्कृत लघुवनोपज को क्रय करने का प्रथम अधिकार ग्राम्फकोफेड को सुरक्षित होगा।
12. समिति प्रोसेसिंग, ग्रेडिंग तथा पैकेजिंग सेंटर में महिलाओं की सहभागिता को सुनिश्चित करेंगे।
13. समय-समय पर सरकार द्वारा योजना कार्यान्वयन दिशा निदेशों का पालन चयनित समितियों को करनी होगी।
14. योजना पूर्ण होने के उपरांत समिति द्वारा अपने खर्च पर प्रसंस्करण यूनिट का बीमा कराना होगा।
15. बिना कारण इच्छा की अभिव्यक्ति रद्द/संशोधित करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित होगा।


प्रबंध निदेशक
ग्राम्फकोफेड, राँधी

लघुवनोपज विपणन व्यवसाय हेतु आधारभूत संरचना एवं कार्यशील पूंजी का प्रपत्र

1. समिति/SHG का नाम
2. समिति/SHG का निबंधन संख्या (यदि हो तो)
3. समिति/SHG का पूर्ण पता
4. समिति/SHG का अध्यक्ष/सचिव का नाम एवं दूरभाष संख्या
5. समिति/SHG का कार्य क्षेत्र
6. समिति/SHG के कार्यक्षेत्र में उत्पादित/संग्रहित लघुवनोपज

क्रमांक	लघुवनोपज का नाम	लघुवनोपज की मात्रा (M.T में)
1	ईमली	
2	थिरौजी गुठली	
3	करंज बीज	
4	महुआ बीज	
5	कुसुम बीज	
6	आम	
7	मधु	

7. समिति/SHG के सदस्य का विवरण :-

क्रमांक	सदस्य के प्रकार	महिला	पुरुष
1	सामान्य		
2	अनुसूचित जाति		
3	अनुसूचित जन-जाति		
4	पिछड़ी जाति		
कुल			

8. समिति/SHG के नाम से जमीन का ब्यौरा :-

खाता संख्या	प्लॉट संख्या	रकबा (डी0 में)	प्रकार	अभियुक्ति-लीज/दान/सरकारी जमीन (जो लागू हो)

9. समिति/SHG के नजदीकी हाट/मंडी का विवरण :-

क्रमांक	मंडी/हाट का नाम	दिन

10. समिति/SHG द्वारा गत वर्षों में की गई लघुवनोपज व्यवसाय का ब्यौरा/अनुभव

11. समिति/SHG हिस्सा पूंजी (यदि हो तो) — अधिकृत हिस्सा पूंजी

प्रदात हिस्सा पूंजी

12. समिति/SHG का अद्यतन अंकेक्षण (वर्ष) (यदि हो तो) :-

13. प्रपत्र के साथ संलग्न करें :-

(क) समिति/SHG के विशेष आम सभा (निर्वाचन प्रमाण पत्र) :- सहकारिता प्रसार पदाधिकारी/प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी या संबंधित कार्यालय/विभाग से सत्यापित कराकर समर्पित करें।

(ख) समिति/SHG के प्रस्ताव की सत्यापित प्रति - प्रसंस्करण इकाई हेतु स्पष्ट प्रस्ताव समिति के मुहर, अध्यक्ष के हस्ताक्षर एवं मुहर तथा सहकारिता प्रसार पदाधिकारी या संबंधित कार्यालय/विभाग से सत्यापित कराकर समर्पित करें।

(ग) समिति/SHG का अद्यतन अंकेक्षण प्रतिवेदन, विगत दो वर्षों के बैलेंस शीट, ट्रेडिंग एकाउंट एवं लाभ-हानि खाता संलग्न करें। (यदि हो तो)

(घ) भूमि संबंधी साक्ष्य - समिति/SHG के नाम से कम - से-कम 5 डिसिमिल जमीन हो (जमीन का खाता नं०/प्लॉट नं० तथा जमीन की भौतिक स्थिति संबंधी साक्ष्य/डीड संलग्न करें।

(ङ) समिति/SHG के बैंक पासबुक की छायाप्रति एवं एक रदद चेक की प्रति संलग्न करें जिसमें समिति/SHG का खाता संख्या, IFS Code एवं समिति/SHG का नाम अंकित हो।

(च) समिति/SHG के द्वारा लघुवित्तनोजन व्यवसाय का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करें

(छ) समिति/SHG के नाम से पेन कार्ड तथा GST No. यदि हो तो उसकी प्रति संलग्न करें।

(ज) समिति/SHG द्वारा विहित प्रपत्र के आवेदन के साथ प्रपत्र शुल्क के रूप में 500रु०(पाँच सौ) नगद/ ड्राफ्ट के माध्यम से ड्राम्फकोफेड, रॉंची के नाम से देय होगा, संलग्न करें।

घोषणा

मैं..... अध्यक्ष/सचिव,

समिति/SHG लि०..... घोषणा करता/करती हूँ कि हमारे समिति/SHG के द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 2017-18 अन्तर्गत लघुवित्तनोजन प्रसंस्करण एवं विपणन व्यवसाय हेतु ड्राम्फकोफेड द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले आधारभूत संरचना तथा कार्यशील पूंजी का उपयोग उसी मद में किया जाएगा, जिसके लिए राशि दी जाएगी। साथ ही इस संबंध में ड्राम्फकोफेड, रॉंची द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों का अक्षरशः पालन किया जाएगा।

समिति/SHG का गोल मोहर

अध्यक्ष/सचिव
हस्ताक्षर एवं मुहर